

पीतासीन अधिकारी :- रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र संख्या 292/2019

प्रार्थी :-

अमूराम पुत्र श्री बादरराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम रामदेव नगर भेड तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :-

सरकार जरिये तहसीलदार ओसियाँ जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :-

अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा प्रार्थी की ओर से

अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित

--:निर्णय :-

दिनांक :- 03.12.2019

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम भेड के खसरा संख्या 595 रकबा 14 बीघा, खसरा संख्या 599 रकबा 12 बीघा 13 बिश्वा, खसरा संख्या 602 रकबा 28 बीघा 19 बिश्वा, खसरा संख्या 604 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 605 रकबा 43 बीघा 09 बिश्वा, खसरा संख्या 607 रकबा 02 बीघा 16 बिश्वा भूमि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आई हुई है। उक्त खसरा की भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता श्री बादरराम के नाम के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आयी हुई थी तत्पश्चात् उक्त भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई उक्त भूमि के खातेदार प्रार्थी जो मेघवाल जाति के हैं जिनके नाम शुद्ध नाम से दर्ज नहीं कर प्रार्थी का नाम अमीया दर्ज कर दिया व प्रार्थी के पिता का नाम बादरराम था जो बादरा दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का नाम अन्य परिचय पत्र व राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में अमूराम पुत्र श्री बादरराम नाम अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करते समय प्रार्थी का नाम सहवन से अमीया पुत्र श्री बादरा दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम अमूराम पुत्र श्री बादरराम है। राशन कार्ड परिचय पत्र व आधार कार्ड व ग्राम पंचायत के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र की प्रतियाँ पेश की प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध नाम अमीया पिता बादरा दर्ज प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाता है प्रार्थी को सरकारी सुविधा का फायदा लेने के लिए भी

न्यायालय सहायक कलेक्टर. जोधपुर

विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए प्रार्थी का नाम उक्त खसरान की भूमि में अमिया पिता श्री बादरा के स्थान पर अमुराम पुत्र श्री बादरराम नाम अंकित किया जाता है तो अन्य सहखातेदारों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा प्रार्थी अपने नाम शुद्ध करवाने प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का लाभ ले सकेगा व भूमि का विकास कार्य भी करवा सकेगा अन्त में प्रार्थी द्वारा ईस्तदुआ चाही कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी का अशुद्ध नाम अमिया पिता बादरा के स्थान पर अमुराम पुत्र श्री बादरराम दर्ज किये जाने का सादिर आदेश फरमावे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र पेश किया।


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की ईस्तदुआ चाही तथा जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उक्त खसरान की भूमि पूर्व में बादरा की खातेदारी की भूमि थी तत्पश्चात अमिया के नाम दर्ज की गई अमिया पुत्र श्री बादरा के स्थान पर अमुराम पुत्र श्री बादरराम दर्ज करने की अनुसंशा की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अमिया व अमुराम एक ही नाम के व्यक्ति है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज भी पेश किए जिसमें भी प्रार्थी का नाम अमुराम पुत्र श्री बादरराम नाम है। अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--:आदेश :-


अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसील ओसियों के राजस्व ग्राम भेड के खसरा सख्या 595 रकबा 14 बीघा, खसरा सख्या 599 रकबा 12 बीघा 13 बिश्वा, खसरा सख्या 602 रकबा 28 बीघा 19 बिश्वा, खसरा सख्या 604 रकबा 0.08 बीघा, खसरा सख्या 605 रकबा 43 बीघा 09 बिश्व, खसरा सख्या 607 रकबा 02 बीघा 16 बिश्वा भूमि में प्रार्थी का अशुद्ध नाम अमिया पिता बादरा के स्थान पर अमुराम पुत्र श्री बादरराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार ओसियों को तहरीर जारी हो।




रतनलाल रेगर
जिला जलकलक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियों

निर्णय आज दिनांक 21/12/19 को सरईजलास सुनाया गया।




रतनलाल रेगर
जिला जलकलक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियों